भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/181/07/2020 7 जुलाई, 2020
REF: IRDA/F&I/CIR/INV/181/07/2020 7th July, 2020

परिपत्र
CIRCULAR

सभी बीमाकर्ताओं के मु.का.अ. / The CEOs of all Insurers,

विषय : कोविड-19-सावधी ऋणों के पुनर्निर्धारण के संबंध में
Sub: COVID-19 - Rescheduling of Term Loans - Reg.

हम परिपत्र आईआरडीए/एफएंडआई/सीआईआर/आईएनवी/085/04/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 का संदर्भ देते हैं, जिसमें बीमाकर्ताओं को अनुमति दी गयी थी कि वे 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच देय होने वाली किश्तों के भुगतान के लिए तीन महीने का "अधिस्थगन" मंजूर करें।
We refer to Circular IRDA/F&I/CIR/INV/085/04/2020 Dt. 8th Apr, 2020 in permitting Insurers to grant moratorium of three months towards payment of installments falling due between 1st Mar, 2020 and 31st May, 2020.

कोविड-19 के कारण लॉकडाउन को आगे बढाने और निरंतर अवरोध को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों, संदर्भ परिपत्र सं. : आरबीआई/2019-20/244.डीओआर सं. बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 दिनांकित 23 मई, 2020 के क्रम में, सावधी ऋणों के भुगतान को पुनर्निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किये गये हैं:
In view of the extension of lockdown and continuing disruption on account of COVID-19 and in line with the RBI's directions issued vide Cir: No: RBI/2019-20/244 DOR. No.BP.BC.71/21.04.048/2019-20 Dt.23rd May, 2020, the following instructions are issued towards rescheduling of payments towards Term Loans:

क. सावधी ऋणों के संबंध में बीमाकर्ताओं को, अनुमति दी जाती है कि वे 1 जून, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच देय होने वाली किश्तों के भुगतान के लिए तीन महीने का अधिस्थगन मंजूर करें। ऐसे ऋणों के लिए पुनर्भुगतान की सारिणी और शेष अवधि, अधिस्थगन अवधि के पश्चात्, संपूर्ण ऋण भुगतान अवधि से तीन महीने तक आगे बढ जाएगी।
a. In Respect of term loans, Insurers are permitted to grant a moratorium of three months towards payment of installments falling due between 1st Jun, 2020 and 31st Aug, 2020. The repayment schedule for such loans and also the residual tenor will be shifted across the board by three months subsequent to the moratorium period.

ख. ऐसी आस्थगन-अवधि के दौरान सावधी ऋणों के बकाया-अंश पर ब्याज उपचित होना जारी रहेगा।

b. Interest shall continue to accrue on the outstanding portion of the term loans during such moratorium period.

ग. उपरोक्त बिन्दु (क) के अनुसार सावधी ऋणों, जिनको राहत मंजूर की गयी है, का परिसंपत्ति वर्गीकरण, संशोधित देय तिथियों और संशोधित पुनर्भुगतान सारिणी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

c. The asset classification of term loans which are granted relief as per point no. (a), above shall be determined on the basis of revised due dates and revised repayment schedule.

घ. ब्याज सहित भुगतानों की समय-सारिणी के पुनर्निर्धारण को, एनपीए की रिपोर्टिंग के लिए चूक नहीं माना जाएगा।

d. The rescheduling of payments, including interest, will not qualify as a default for reporting of NPAs.

ङ. बीमाकर्ता, ऋण की शेष अवधि, संघीय या गैर संघीय-उधार, पुनर्भुगतान क्षमता इत्यादि सहित विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए सभी पात्र ऋणकर्ताओं को उपरोक्त राहतों के लिए बोर्ड द्वारा मंजूर नीति तैयार करेंगे।

e. Insurers shall frame Board approved policy for the above-mentioned reliefs to all eligible borrowers, by taking into account various factors including remaining tenure of loan, consortium or non-consortium lending, repayment capacity etc.

च. समवर्ती लेखा परीक्षक अपनी सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट में पुष्टि करेंगे कि बीमाकर्ता ने अधिस्थगन मंजूर करने में बोर्ड द्वारा मंजूर नीति का अनुपालन किया है।

f. Concurrent Auditor in their report for the quarter ending Sep 2020 shall confirm that the insurer has complied with the Board Approved policy in granting moratorium.

यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(एस एन जयसिम्हन / SN Jayasimhan)

विभागाध्यक्ष-निवेश / HoD-Investments